संख्या 1507–5 जी0एस0–1–73/8724

प्रेषक,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, अम्बाला तथा हिसार मण्डल के आयुक्त, सभी उपायुक्त तथा सभी उप मण्डल अधिकारी, हरियाणा ।
2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ तथा सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरियाणा ।

दिनांक चण्डीगढ़, 30 मार्च, 1973 ।

विषय : चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को लिपिकों के पदों पर नियमित रूप से नियुक्त करने के बारे।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपरोक्त विषय पर संयुक्त पंजाब सरकार के परिपत्र क्रमांक 7386–8 जी0एस0–63/20345, दिनांक 29–5–63 (प्रति संलग्न है) की ओर दिलाऊं और कहूं कि कुछ समय से सरकार यह विचार कर रही है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो अपनी योग्यतायें (improve) करलें और जिनका कार्य तथा आचरण संतोषजनक हो उन्हें उत्साह मिलना चाहिए। सरकार ने इस मामले पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया है कि श्रेणी–IV के कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें लिपिक के पद पर पदोन्नत किया जाए परन्तु उनको निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी :—

(1) वह मैट्रिक हो ।

(2) उसने क्लास IV के किसी पद पर कम से कम 2 साल काम किया हो।

(3) ऐसी पदोन्नति विभाग तदर्थ आधार पर 6 महीने के लिए कर सकता है। यदि इस समय में कर्मचारी का काम संतोषजनक हो तो उसकी रैगुलर नियुक्ति का अनुमोदन बोर्ड से प्राप्त कर लिया जाए, परन्तु रैगुलर नियुक्ति के बाद उसे एक साल के लिए प्रोबेशन पर रखा जाए और यदि प्रोबेशन काल मे उसका काम संतोषजनक हो तो स्थाई पद उपलब्ध होने पर नियुक्ति स्थाई रूप में कर दी जाए। यदि प्रोबेशन के समय में उसका काम ठीक न हो तो उसी श्रेणी के पद पर रिवर्ट कर दिया जाए।

(4) ऐसे कर्मचारी को बोर्ड द्वारा लिपिक के पद के लिए ली जाने वाली परीक्षा पास करनी जरूरी नहीं होगी ।

(5) जब श्रेणी IV के कर्मचारी को तदर्थ आधार पर लिपिक के पद पर पदोन्नत किया जाए तो भी उसे लिपिक के पद का वेतनमान दिया जाना चाहिए तथा जितनी सेवा वह लिपिक के पद पर करता है वह इन्क्रीमैंट के लिए शुमार की जानी चाहिए ।

(6) ऐसी पदोन्नति सीनियोरिटी-कम-फिटनैस के आधार पर की जाए ।

2. सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि उपरोक्त पैरा में बताई गई स्थिति के अनुसार विभाग अपने सेवा नियमों में भी उपबन्ध कर लें यदि पहले ऐसा नहीं किया गया हो तथा जितने प्रतिशत पद इस प्रकार पदोन्नति द्वारा भरे जाने हों उनका भी प्रोवीजन नियमों में कर लें ।

3. आपसे अनुरोध है कि यह अनुदेश कृपया सावधानी से नोट कर लिये जायें तथा दृढ़तापूर्वक पालना के लिए सभी संबंधित कर्मचारियों के ध्यान में लाई जायें । इस पत्र की पावती भेजी जाए।

भवदीय,

हस्ता/-

उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवायें,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थं तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाती है:—

वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा तथा हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव ।